

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या: 133 /ई-निवि0सहई-नीला0/भू0खनि0ई0/पिथौरागढ़/2018-19

दिनांक: 02 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून के ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र संख्या 012_Pithoragarh_Ghigrani_1.169ha/भू0खनि0ई0/ई0निवि0सहई0नीला0/2017-18, दिनांक 07 फरवरी, 2018 एवं जनपद पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार एवं पौड़ी गढ़वाल के 5.00 है0 तक के क्षेत्रफल के कुल 85 खनन लॉटों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु जारी संशोधित विज्ञापन संख्या 05/ई0निवि0सहई0नीला0/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम घिंघरानी, क्षेत्रफल 1.169 हैक्टेयर रिक्त उपखनिज क्षेत्र में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्टर (आर0बी0एम0) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु विज्ञापित प्रकाशित की गयी थी।

2- उक्त उपखनिज क्षेत्र हेतु तकनीकी ई-निविदा दिनांक 12.03.2018 को खोली गयी थी। उक्त लॉट हेतु अधिकतम निर्धारित मात्रा 12672 टन एवं न्यूनतम निर्धारित मात्रा 6336 टन है। तदोपरान्त उक्त उपखनिज लॉट की वित्तीय निविदा दिनांक 16.03.2018 को खोली गयी।

3- उक्त लॉट हेतु दिनांक 12.03.2018 को खोली गयी प्रथम चरण की ई-निविदा में 07 निविदादाताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। तकनीकी निविदा के मूल्यांकन का परिणाम 16.03.2018 को घोषित किया गया, जिसमें निविदाकार कुंवर कन्स्ट्रक्शन (पंजीकरण संख्या - M171228135406060 एवं बिड आई0डी0 संख्या-34199) द्वारा आवेदन फर्म के रूप में किया गया है एवं रजिस्ट्रेशन में नाम भिन्न होने के कारण उनकी निविदा को अस्वीकृत करते हुए शेष 06 निविदाकारों की वित्तीय ई-निविदा बोली दिनांक 19.03.2018 को खोली गयी। प्राप्त ई-निविदाओं का मूल्यांकन करते हुए समिति द्वारा सुसंगत नियमों के अधीन निम्नानुसार संस्तुति प्रदान की गयी है :-

तालिका- 1

क्र0सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1	श्री रविन्द्र सिंह	33395 M171228135139720	12,672 टन
2	श्रीमती दीपा देवी	34153 M171230150936897	12,672 टन
3	श्री अभिषेक रावत	34244 M180103132025250	12,672 टन
4	श्री के0एन0 पाण्डेय	34283 M180103155236300	12,672 टन
5	श्री नन्दन सिंह चौहान	34291 M171229162822393	12,672 टन
6	श्री करुनेश अधिकारी	34379 M180207084035680	12,672 टन

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम घिंघरानी, क्षेत्रफल 1.169 हैक्टेयर हेतु प्रथम चरण में ई-निविदा में प्राप्त अधिकतम चाही गयी अंकित मात्रा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11(5) के अनुसार 12,672 टन प्राप्त हुई।

जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम घिंघरानी, क्षेत्रफल 1.169 हैक्टेयर हेतु उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 27 ग के उपनियम-11 प्रथम चरण के अनुसार द्वितीय चरण की ई-नीलामी की न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) = 12,672 x 35.00 = ₹0 4,43,520.00 (₹0 चार लाख तिरालीस हजार पांच सौ बीस मात्र) निर्धारित की गयी।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 49/ई0निवि0सहई0नीला0/परिणाम/प्र0च0/पिथौरागढ़/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 21 मार्च, 2018 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम घिंघरानी, क्षेत्रफल 1.169 हैक्टेयर हेतु समिति की संस्तुति पर

प्रथम चरण की वित्तीय बोली के परिणाम के आधार पर द्वितीय चरण (ई-नीलामी) हेतु न्यूनतम बोली धनराशि (Floor price) ₹0 4,43,520.00 (₹0 चार लाख तिरालीस हजार पांच सौ बीस मात्र) निर्धारित की गयी।

4- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 012_Pithoragarh_Ghingrani_1.169ha/भू0खनि0ई0/ई0निवि0सह ई0नीला0/2017-18, दिनांक 23 मार्च, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर, व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

5- ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 31.03.2018 सायं 5.00 बजे तक उक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये हैं।

6- उपरोक्त तालिका में वर्णित सभी 06 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्न वांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित तिथि एवं समय पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति कार्यालय ज्ञाप संख्या 18/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 04 अप्रैल, 2018 के द्वारा प्रदान की गयी।

ई-नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 09 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 10:00 बजे से सायं 01:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके ऑन लाईन परिणाम eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क0सं0	बिडर मास्कड आई0डी0	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू ₹0
1.	20181303412564	09 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:58 बजे	4063881.00
2.	20181303411033	09 अप्रैल, 2018 अपराह्न 01:08 बजे	5283231.00
3.	20181303412354	09 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:01 बजे	991119.00
4.	20181303411410	09 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:52 बजे	3534018.00
5.	20181303412530	09 अप्रैल, 2018 अपराह्न 01:07 बजे	5281014.00
6.	20181303412529	09 अप्रैल, 2018 प्रातः 11:51 बजे	656352.00

प्रतिभाग/निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या 06 प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली ₹0 52,83,231.00 (₹0 बावन लाख तिरासी हजार दो सौ इकतीस मात्र) उक्त तालिका में वर्णित है।

7- ई- ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की मास्कड आई0डी0 हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्रस्तुत किये गये, जिसकी घोषणा कार्यालय ज्ञाप संख्या 74/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 के द्वारा की गई :-

क0 सं0	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर मास्कड आई0डी0/नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण सं0)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू ₹0	उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (संशोधित) 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा
1	20181303411033/ Ravindra Singh Deopa (M171228135139720)	09 अप्रैल, 2018 अपराह्न 01:08 बजे	5283231.00	H1
2	20181303412530/ Deepa Devi (M180221133958300)	09 अप्रैल, 2018 अपराह्न 01:07 बजे	5281014.00	H2
3	20181303412564/ Nandan Singh Chauhan (M171229162822393)	09 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:58 बजे	4063881.00	H3
4	20181303411410/ Karunesh Adhikari (M180207084035680)	09 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:52 बजे	3534018.00	H4
5	20181303412354/ Abhishak Rawat (M180103132025250)	09 अप्रैल, 2018 अपराह्न 12:01 बजे	991119.00	H5
6	20181303412529/ K N Pandey (M180103155236300)	09 अप्रैल, 2018 प्रातः 11:51 बजे	656352.00	H6

8- कार्यालय ज्ञाप संख्या 74/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 17 अप्रैल, 2018 के द्वारा ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 (ग) उप नियम द्वितीय चरण (5) के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4, H5, H6 घोषित किया गया।

9- श्री रविन्द्र सिंह देउपा (M171228135139720) जिन्हें जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम घिंघरानी, क्षेत्रफल 1.169 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र से कुल 12,672 टन उपखनिज की निकासी हेतु कुल धनराशि ₹0 52,83,231.00 (बावन लाख तिरासी हजार दो सौ इकतीस मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के आवंटन हेतु H1 घोषित है। श्री रविन्द्र सिंह देउपा (M171228135139720) से उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (1) के अनुसार अपेक्षित है कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमान्तर्गत तीन कार्यदिवस के अन्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् ₹0 5,28,323.00 (पांच लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ तेईस मात्र) विभागीय लेखाशीर्षक में ट्रेजरी के माध्यम से जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त आपको सफल बोलीदाता माना जायेगा।

यह भी सूचित किया गया कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (ख) उपनियम 3 के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् ₹0 5,28,323.00 (पांच लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ तेईस मात्र) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जायेगा तथा प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमों एवं जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम घिंघरानी, क्षेत्रफल 1.169 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित विभिन्न शर्तों अनुदेशों के अधीन समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

10- अवगत कराना है कि उक्तानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या कार्यालय ज्ञाप संख्या 74/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को विभागीय वेब साईट पर अपलोड किया गया। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 अप्रैल, 2018 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड होने के उपरान्त H1 श्री रविन्द्र सिंह देउपा (M171228135139720) द्वारा उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम 1 के अनुसार नियमान्तर्गत बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली ₹0 52,83,231.00 (बावन लाख तिरासी हजार दो सौ इकतीस मात्र) का दस प्रतिशत अर्थात् ₹0 5,28,323.00 (पांच लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ तेईस मात्र) सफल बोलीदाता धनराशि विभागीय लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीन दिन के अन्तर्गत तथा 10 प्रतिशत ₹0 5,28,323.00 (पांच लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ तेईस मात्र) प्रो पट्टाधारक धनराशि 07 दिन के अन्तर्गत जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाईट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित कार्यालय में जमा करायी जानी चाहिए थी।

श्री रविन्द्र सिंह देउपा द्वारा बोली गई उच्चतम धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि ₹0 5,28,323.00 (₹0 पांच लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ तेईस मात्र) तथा 10 प्रतिशत धनराशि ₹0 5,28,323.00 (₹0 पांच लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ तेईस मात्र) जमा नहीं करायी गयी है, उक्त के संबंध में प्रा0सहा0-भूविज्ञान/प्रभारी अधिकारी, जि0टा0फो0-पिथौरागढ़ के पत्र संख्या 24/जि0टा0फो0पिथौ0/खनन/ मा0प्लान/2017-18, दिनांक 28.04.2018 द्वारा अवगत कराया कि "श्री रविन्द्र सिंह देउपा के द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि जमा न किये जाने तथा उनके द्वारा उक्त उपखनिज लॉट को लेने हेतु जतायी गयी अनिच्छा के क्रम में अन्य द्वितीय H2 को सम्मिलित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, H1 द्वारा जमा धरोहर राशि के बैंक ड्रापट/एफ0डी0आर0, जि0टा0फो0 कार्यालय, पिथौरागढ़ में जमा है"।

श्री रविन्द्र सिंह देउपा के द्वारा उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत धनराशि ₹0 5,28,323.00 (₹0 पांच लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ तेईस मात्र) तथा 10 प्रतिशत धनराशि ₹0 5,28,323.00 (₹0 पांच लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ तेईस मात्र) जमा न किये जाने के कारण H1 घोषित श्री रविन्द्र सिंह देउपा असफल है।

उक्त लॉट के सम्बन्ध में प्रा0सहा0 भूविज्ञान/प्रभारी अधिकारी, जि0टा0फो0, पिथौरागढ़ द्वारा H2 श्रीमती दीपा देवी का अनुरोध पत्र ई0मेल के माध्यम से प्राप्त संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जिसमें श्रीमती दीपा देवी द्वारा अनुरोध किया गया है कि "दिनांक 09.04.2018 को मेरे द्वारा ऑनलाईन नीलामी में प्रतिभाग किया गया जिसमें मुझे द्वितीय उच्चतम बोलीदाता H2 घोषित किया गया था, जिसे किसी कारणवश इस लॉट को लेने में असमर्थ हूँ"।

श्रीमती दीपा देवी के द्वारा उच्चतम बोली धनराशि का 10 प्रतिशत रू0 5,28,101.00 (रू0 पांच लाख अट्ठाइस हजार एक सौ एक मात्र) एवं रू0 5,28,101.00 (रू0 पांच लाख अट्ठाइस हजार एक सौ एक मात्र) जमा न किये जाने के कारण H2 घोषित श्रीमती दीपा देवी असफल है।

11- उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) के बिन्दु संख्या - 1, 2, 3 व 4 में निम्न प्राविधान है :-

1. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई-नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%) "सफल बोलीदाता धनराशि" तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate way के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
2. H1 के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी का जब्त करते हुए कोटिक्रम में द्वितीय ई-नीलामी बोलीदाता H2 को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिक्रम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये सफल ई-नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई-नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए ई-नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञप्ति के उपरान्त पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
3. सफल ई-नीलामी बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%) "प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि" (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्यदिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् ऐसा सफल ई-नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।
4. प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता H1 द्वारा प्रस्तर (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटिक्रमानुसार अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

12- उपरोक्त के क्रम में जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम घिंघरानी, क्षेत्रफल 1.169 हैक्टेयर लॉट हेतु H1 घोषित श्री रविन्द्र सिंह देउपा (M171228135139720) तथा H2 श्रीमती दीपा देवी (M180221133958300) के द्वारा उक्त लॉट को लेने की अनिच्छा व्यक्त जाने के क्रम में H3 श्री नन्दन सिंह चौहान (M171229162822393) द्वारा दी गई उच्चतम बोली रू0 4063881.00 (रू0 चालीस लाख तिरेसठ हजार आठ सौ इक्कासी मात्र) पर उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के अनुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 क के बिन्दु संख्या- 2 के प्राविधानुसार H1 श्री रविन्द्र सिंह देउपा (M171228135139720) की अर्नेस्ट मनी, सावधि जमा रसीद खाता संख्या 37556296401, दिनांक 23.02.2018 रू0 1,10,880.00 एवं H2 श्रीमती दीपा देवी (M180221133958300) की अर्नेस्ट मनी डी0डी0 संख्या 721062, दिनांक 09.01.2018, रू0 1,10,880.00 को जब्त करते हुए, H3 श्री नन्दन सिंह चौहान (M171229162822393) से उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम 1 के अनुसार, अपेक्षित है कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमान्तर्गत तीन दिन के अन्तर्गत उनके द्वारा बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली रू0 40,63,881.00 (रू0 चालीस लाख तिरेसठ हजार आठ सौ इक्कासी मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि रू0 4,06,388.1 अर्थात् 4,06,388.00 (रू0 चार लाख छः हजार तीन सौ अट्ठासी मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालन की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियाँ सहित कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त आपको सफल बोलीदाता माना जायेगा।

श्री नन्दन सिंह चौहान (M171229162822393) को उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (ख) उपनियम 3 के अनुसार सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत दस प्रतिशत धनराशि रू0 4,06,388.1 अर्थात् 4,06,388.00 (रू0 चार लाख छः हजार तीन सौ अट्ठासी मात्र) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक माना जायेगा तथा प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

अतः H3 श्री नन्दन सिंह चौहान (M171229162822393) से अपेक्षित है कि उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमों एवं जनपद पिथौरागढ़ की तहसील डीडीहाट के ग्राम घिंघरानी, क्षेत्रफल 1.169 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित विभिन्न शर्तों अनुदेशों के अधीन समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक।